न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./67/2025 जी0सी0एम0एस0 2025/112

1. रंगलाल पुत्र पोलू जाति जाट निवासी बुबकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. हंसराज पुत्र पोलू जाति जाट निवासी बुबकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. उगमा पुत्र रूघनाथ जाति माली निवासी बुबकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. गणेश पुत्र हरदेव जाति माली निवासी बुबकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. नाथू पुत्र हरदेव जाति माली निवासी बुबकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. रामदेव पुत्र हरदेव जाति माली निवासी बुबकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. छोटू पुत्र बालू जाति माली निवासी बुबकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. रामा पुत्र बालू जाति माली निवासी बुबकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
9. कैलाशी पुत्री सुरजमल जाति माली निवासी बुबकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर(फौत)

9/1. सुखदेव पुत्र कैलाशी पत्नि मेवा जाति माली निवासी सेदरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

9/2. महादेव पुत्र कैलाशी पत्नि मेवा जाति माली निवासी सेदरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

9/3. लालाराम पुत्र कैलाशी पत्नि मेवा जाति माली निवासी सेदरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

9/4. अमरी पुत्री कैलाशी पत्नि मेवा जाति माली निवासी सेदरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

9/5. हेमा पुत्री कैलाशी पत्नि मेवा जाति माली निवासी सेदरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

9/6. सोनिया पुत्री कैलाशी पत्नि मेवा जाति माली निवासी सेदरियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील–भिनाय जिला–अजमेर।

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–30.05.2025

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री शिवकुमार जोशी

2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा बुबकिया पटवार क्षेत्र बुबकियां भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 510 में दर्ज खसरा संख्या 2140 रकबा 0.24, खसरा संख्या 2142 रकबा 0.12, खसरा संख्या 2143 रकबा 0.12, खसरा संख्या 2144 रकबा 0.05, खसरा संख्या 2145 रकबा 0.02, खसरा संख्या 2146 रकबा 0.24, खसरा संख्या 2147 रकबा 0.05, खसरा संख्या 2148 रकबा 0.14, खसरा संख्या 2149 रकबा 0.09, खसरा संख्या 2150 रकबा 0.15, खसरा संख्या 2152 रकबा 0.34, खसरा संख्या 2154 रकबा 0.30, खसरा संख्या 2158 रकबा 0.34, खसरा संख्या 2163 रकबा 0.44 और खसरा संख्या 2164 रकबा 0.50 कुल किता 15 कुल रकबा 3.14 हैक्ट, खाता संख्या 500 में दर्ज खसरा संख्या 1819 रकबा 0.23 कुल किता–0.23 रकबा 0.23 हैक्ट0 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पैश करते हुए, मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजीयात को खातेदारी आराजीयात बताकर प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब अनुसार कथन दौहराये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम बुबकियां के खाता संख्या 510, 500 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा बुबकिया पटवार क्षेत्र बुबकियां भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 510 में दर्ज खसरा संख्या 2140 रकबा 0.24, खसरा संख्या 2142 रकबा 0.12, खसरा संख्या 2143 रकबा 0.12, खसरा संख्या 2144 रकबा 0.05, खसरा संख्या 2145 रकबा 0.02, खसरा संख्या 2146 रकबा 0.24, खसरा संख्या 2147 रकबा 0.05, खसरा संख्या 2148 रकबा 0.14, खसरा संख्या 2149 रकबा 0.09, खसरा संख्या 2150 रकबा 0.15, खसरा संख्या 2152 रकबा 0.34, खसरा संख्या 2154 रकबा 0.30, खसरा संख्या 2158 रकबा 0.34, खसरा संख्या 2163 रकबा 0.44 और खसरा संख्या 2164 रकबा 0.50 कुल किता 15 कुल रकबा 3.14 हैक्ट, खाता संख्या 500 में दर्ज खसरा संख्या 1819 रकबा 0.23 कुल किता–0.23 रकबा 0.23 हैक्ट0**हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)